an>

Title: Need to pay salary to the teachers of 'A' Grade recognized schools in Uttar Pradesh.

श्री शरद त्रिपाठी **(**संत कबीर नगर**):** उपाध्यक्ष महोदय, 03.09.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक दिशानिर्देश जारी किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत ए श्रेणी के मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अधिकृत किया गया था, जिसके तहत अध्यापकों को वेतन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में सन् 1960 के बाद से ए श्रेणी के मान्यता प्राप्त विद्यालयों को त्रिभाषा कोर्स के अंतर्गत 2005 तक वेतन दिया जा रहा था। लेकिन सन् 2005 से त्रिभाषा कोर्स के अंतर्गत सरकार ने वेतन देना बंद कर दिया है। जिससे सर्वोच्च न्यायालय के उस दिशानिर्देश की अवहेलना भी हो रही है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत भी बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है, उसमें से ही कटौती कर के उपरोक्त विद्यालयों को जो ए श्रेणी के मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनके त्रिभाषा अध्यापाकों को वेतन देने का आदेश देने की कृपा करें।